

प्रेस-विज्ञप्ति**मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक बच्चों एवं बच्चियों अपराधों के सम्बन्ध में-**

आज दिनांक 27.05.2022 पुलिस लाइन सभागार में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित व मानव तस्करी रोकने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को किस प्रकार का कार्य किया जाये।

मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में जनपद में नियुक्त विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को मा0 न्यायालय द्वारा पोक्सो केस के जुनैद बनाम राज्य निर्णय में दिये गये निर्देशों को भली-भांति अनुपालन करे तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए आज दिनांक 27.05.2022 को जनपद के पुलिस लाइन सभागार में प्रशिक्षित किया गया। बैठक में पोक्सो एक्ट की विवेचना सम्बन्धी बारीकियों, मेडिकल केयर एवं आयु निर्धारण परीक्षण सम्बन्धी तथ्यों के बारे में चर्चा की गयी। पोक्सो एक्ट में पड़ने वाली बेल अप्लिकेशन पर कार्यवाही के संबंध में जुनैद बनाम राज्य केस के बारे में समस्त स्टेक होल्डरों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के बारे में दिया गया। एवं जनपद में मानव तस्करी एवं गुमशुदा बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर तत्परता से कार्य करने के बारे में कार्ययोजना लागू करने हेतु चर्चा की गयी।

बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी एएचटीयू/एसजेपीयू द्वारा की गयी। बैठक में जनपद के ए0एच0टी0यू /एस0जे0पी0यू0 के कर्मचारीगण एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं एनजीओ सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन, एवं अन्य शाखा मौजूद रहे। जिसको आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

थाना जीयनपुर**लड़की को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14/05/2022 को वादी थाना जीयनपुर, जनपद, आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर सूचना दिया गया कि मेरी पोती को शादी के लिए अभियुक्त लुकमान हुसैन उर्फ जुनैद बहला-फूसलाकर घर से भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में पर अभियुक्त लुकमान उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 258/2022 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत है जिसकी विवेचना व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही द्वारा किया जा रहा है। विवेचना के क्रम में

दिनांक 17.3.2022 को व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही मय हमराह द्वारा मुखबार खास के सूचना के अधार पर मु0अ0सं0 258/2022 धारा 363/366 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त लुकमान हुसैन उर्फ जुनैद अन्सारी पुत्र इमामुद्दीन निवासी रामापुर मुस्लिमनगर थाना व जनपद लखीमपुर खीरी को गाँधी पी0जी0 कालेज मालटारी के पास से समय 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 258/2022 धारा 363/366 भादवि0 थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

लुकमान हुसैन उर्फ जुनैद अन्सारी पुत्र इमामुद्दीन निवासी रामापुर मुस्लिमनगर थाना व जनपद लखीमपुर खीरी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. व.उ.नि. प्रदीप कुमार राही थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़।
2. हे0का0 राजीव मिश्रा थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. म0का0 श्वेता पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री गुड्डु राम पुत्र राजाराम ग्रा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ की तहरीरी सूचना की प्रार्थी घर जा रहा था कि रास्ते मे कलामु पुत्र जहीर ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ अपने बाईक से तेज रफ्तार से आ रहा था तो हमने मना किया की धीरे चलो की तो उसने मां बहन की गाली देते हुए कहा कि मै अभी लौट के आ रहा तो तुम (जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए) जान से मार दुगाँ उसके थोडी देर बाद दि0 16.12.2021 समय करीब 16.15 बजे शाम को जहीर पुत्र रशीद , जावेद उर्फ सोनू पुत्र जहीर , कलामुद्दीन पुत्र जहीर , भोदू पुत्र अजीज अफसाद पुत्र मुस्तफा , राजु पुत्र निजामुद्दीन , रहीश पुत्र निजामुद्दीन , लतीफ पुत्र मलहरू , सम्सुदीन पुत्र मुन्नी , नूरजहा पत्नी जहीर , आपशा पत्नी अजीज व अजीज पुत्र रशीद ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर आजमगढ के द्वारा प्रार्थी के घर वालों को गालिया देते जान से मारने की नियत से असलहा लहराते हुए लाठी डंडे व लोहे की राड से घर मे घुसकर मारने लगे जिसमे कुसुम पत्नी बिरेन्द्र राम, भीम पुत्र पंचम , गुड्डू पुत्र राजाराम को गम्भीर चोटे आयी जिसमे कुसुम देवी के सर में राड से मारने से काफी गहरी चोट आयी वो सब जान से मारने की नियत से थे जिससे सोर गुल सुनकर गाव के काफी लोग जुडकर बीच बचाव किये । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं मु0अ0सं0 284/21 धारा 323/504/506/307/452/34 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V SC ST एक्ट थाना मेंहनगर पर पंजीकृत होकर विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय द्वारा की जा रही है।

दिनांक- 27.05.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल के नेतृत्व में व0उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह का0 अभिषेक कुमार यादव व का0 य़सवन्त कुमार के मु0अ0सं0 284/21 धारा 323/504/506/307/452/34 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V SC ST एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजू पुत्र निजामुद्दीन सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को रोडवेज कस्बा मेंहनगर से समय 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा.उच्चतम न्याया. व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान – रोडवेज कस्बा मेंहनगर **समय –** 09.45 बजे

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 284/21 धारा 323/504/506/307/452/34 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V SC ST एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

राजू पुत्र निजामुद्दीन सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह हमराह का0 अभिषेक कुमार यादव व का0 य़सवन्त कुमार थाना मेंहनगर आजमगढ